

उपायुक्त का कार्यालय (जिला राजस्व शाखा) गिरिडीह।

गिरिडीह जिला के सरिया अंचल के अन्तर्गत 132/33 के.भी. ग्रीड सब-स्टेशन के निर्माण हेतु Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) के संबंध में अनापत्ती प्रमाण पत्र।

गैरमजरूआ, जंगल Deemed Forest (जंगल-झाड़ी, जंगल सखुआ इत्यादि) भूमि जो निम्नवत है :-

क्र.	वन भूमि का स्थल (प्रखण्ड)	जिला	वन प्रमण्डल	मौजा का नाम	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा (एकड़ में)	किस्म भूमि
1	सरिया	गिरिडीह	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल	बड़की सरिया टोला मनधनिया	44	200	4661	10.00	गैरमजरूआ खास, जंगल-झाड़ी

कुल रकवा 10.00 एकड़ में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि एवं अन्य वन (Deemed Forest) भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत् हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया के तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ, जंगल-झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सःशुल्क हस्तान्तरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यदेश निर्गत किया जायेगा।

[Signature]

उपायुक्त, गिरिडीह।

ज्ञापांक 1243/रा. दिनांक 13/05/2015

- प्रतिलिपि : महाप्रबंधक -सह- मुख्य अभियन्ता संचरण प्रक्षेत्र-V हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : विणुत अधीक्षण अभियन्ता संचरण प्रक्षेत्र-V हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

[Signature]

उपायुक्त, गिरिडीह।